

IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, LOHARDAGA
Schedule XIV From No- 562

ORDER SHEET

(See Rules 129 of the Record Manual 1941)

The State of Jharkhand

V/s

Order sheet datedTo.....

Tarjan Goswami & Ors.

Case No- **20/24-25**

Nature of Case- **Confiscation**

U/S Rule 11(V) of the Jharkhand minirals (Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017,


आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																								
1.	2.	3.																								
<u>12/12/24</u>	<p align="center">आदेश</p> <p>यह Confiscation Case No- 20/24-25 राज्य सरकार बनाम 1. टार्जन गोस्वमी '2. जावेद अंसारी 3. सरोज उराँव में पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा के पत्रांक 1240/अप0शा0 दिनांक 17.08.2024 एवं सेन्हा थाना काण्ड सं० 40/24 दिनांक 02.06.2024 के आलोक में धारा 379/411 भा0द0वि0 एवं 4/54 झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियम 4/21 खान एवं खनिज विकास तथा विनियमन -1957 में अग्रेतर वाद दायर कर निम्नांकित वाहन को राजसात करने हेतु वाद प्रारम्भ किया गया है।</p> <p align="center">वाहन की विवरणी</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र०</th> <th>वाहन के प्रकार (मॉडल नं०)</th> <th>वाहन सं०</th> <th>चेचिस नंबर</th> <th>ईजन नंबर</th> <th>मालिक का नाम/पता</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">01.</td> <td>स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 834 XM</td> <td>JH08G-5310</td> <td>WXTD25419155 226</td> <td>331008SZD01181</td> <td>टार्जन गोस्वामी, पे०-रुपदेव गोस्वामी, सा०-एकागुडी थाना सेन्हा एवं जिला-लोहरदगा।</td> </tr> <tr> <td align="center">02.</td> <td>स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 735 FEeR</td> <td>JH08K-8658</td> <td>MBNAK48ACR TB25972</td> <td>CJ.1354/AA00040 8</td> <td>जावेद अंसारी, पिता-कमरुद्दीन अंसारी, सा०-वार्ड नं०-04, रामपुर, थाना लोहरदगा एवं जिला-लोहरदगा।</td> </tr> <tr> <td align="center">03.</td> <td>स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 735 FEeR</td> <td>JH08H-5569</td> <td>MBNBH48AEL CL23206</td> <td>422001/SBL16295</td> <td>सरोज उराँव, पिता-लुटू उराँव, ग्राम-चितरी डाढ़, थाना-सेन्हा जिला लोहरदगा।</td> </tr> </tbody> </table> <p>इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकरण W.P.(C) 6788/2023, W.P.(C) 7531/2023 दायर किये गये थे।</p> <p>मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकार संख्या W.P.(C) 6788/2023, में M/S Aditya Enterprises Proprietorship firm बनाम सरकार W.P.(C) 7531/2023,</p>	क्र०	वाहन के प्रकार (मॉडल नं०)	वाहन सं०	चेचिस नंबर	ईजन नंबर	मालिक का नाम/पता	01.	स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 834 XM	JH08G-5310	WXTD25419155 226	331008SZD01181	टार्जन गोस्वामी, पे०-रुपदेव गोस्वामी, सा०-एकागुडी थाना सेन्हा एवं जिला-लोहरदगा।	02.	स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 735 FEeR	JH08K-8658	MBNAK48ACR TB25972	CJ.1354/AA00040 8	जावेद अंसारी, पिता-कमरुद्दीन अंसारी, सा०-वार्ड नं०-04, रामपुर, थाना लोहरदगा एवं जिला-लोहरदगा।	03.	स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 735 FEeR	JH08H-5569	MBNBH48AEL CL23206	422001/SBL16295	सरोज उराँव, पिता-लुटू उराँव, ग्राम-चितरी डाढ़, थाना-सेन्हा जिला लोहरदगा।	
क्र०	वाहन के प्रकार (मॉडल नं०)	वाहन सं०	चेचिस नंबर	ईजन नंबर	मालिक का नाम/पता																					
01.	स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 834 XM	JH08G-5310	WXTD25419155 226	331008SZD01181	टार्जन गोस्वामी, पे०-रुपदेव गोस्वामी, सा०-एकागुडी थाना सेन्हा एवं जिला-लोहरदगा।																					
02.	स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 735 FEeR	JH08K-8658	MBNAK48ACR TB25972	CJ.1354/AA00040 8	जावेद अंसारी, पिता-कमरुद्दीन अंसारी, सा०-वार्ड नं०-04, रामपुर, थाना लोहरदगा एवं जिला-लोहरदगा।																					
03.	स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 735 FEeR	JH08H-5569	MBNBH48AEL CL23206	422001/SBL16295	सरोज उराँव, पिता-लुटू उराँव, ग्राम-चितरी डाढ़, थाना-सेन्हा जिला लोहरदगा।																					


सरुन कुमार वो ललन कुमार इन्दर Issues में उठाये गये मामले को स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रकार के मामले को दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश द्वारा Conanizance & confiscation, हेतु Judicial Magistrate first class को सक्षम माना गया है। तथा Rule 11(V) of the Jharkhand minirals(Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017, as ultra vires, any confiscation proceeding by the Deputy Commissioner of any District within the State of Jharkhand under the Rule is illegal and is without any authority of law and is beyond Jurisdiction घोषित किया गया है।

निर्णय

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची द्वारा W.P.(C) 6788/2023, एवं W.P.(C) 7531/2023, में दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।


उपाधुक्त,
लोहरदगा।


उपाधुक्त,
लोहरदगा।